

प्रारूप - एक
(नियम 11 देखिये)

कायालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, राजसव एवं आपदा प्रबंधन विभाग, कोरबा

अधिसूचना

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्वासनापन में उचित प्रतिक्रिया तथा पारदर्शीता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अनुरूप है।

नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् -

जिला	लैलसील	ग्राम/नगर	शब्दफल	लोक प्रयोजन का विवरण
कोरबा	कटघोरा	लैलसरा	1.939 हे.	लैलसरा एनीकट के द्वारा क्षेत्र हेतु

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाधात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 02/04/25 का समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन लैलसरा पर नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि का अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है -

- 1 लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण
- 2 प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या
- 3 अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या
- प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित
- 4 संख्या
- प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की
- 5 अनुमानित संख्या
- 6 क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?
- क्या सभव विकल्पी और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है
- 7 2
- 8 परियोजना की कुल लागत
- 9 परियोजना से होने वाले लाभ
- 10 प्रस्तावित सामाजिक समाधात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला समावित व्यय
- 11 परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक
- 12 परिवार
- 12 परिवार
- निरक
- निरक
- ही
- ही
- रु 567 95 लाख
- निस्तारी एवं कृषकों का स्वयं के साधन से 25 हे. में सिचाई सुविधा हो सकेगी।
- प्रस्तावित सामाजिक समाधात की प्रतिपूर्ति के लिये रामायित उपाय किये जा रहे हैं तथा उसपर होने वाला समावित व्यय का प्रावधान किया गया है।
- निरक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संसद्या या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित विधि/समय एवं स्थान पर दी जा सकती है।

(अर्जित वसत)


कलेक्टर

जिला - कोरबा

एवं पदेन उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजसव एवं आपदा प्रबंधन विभाग


अनुबिधानीय अधिकारी (रा.)
कटघोरा (छ. ग.)